GST Update on decisions on GSTR-9 & 9C taken in council meeting

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एनुअल रिटर्न से संबंधित कुछ निर्णय किए गए हैं उसकी विवेचना हम इस अपडेट में कर रहे हैं.

1. 2018-19 के जीएसटीआर 9 and 9C को दाखिल करने की अंतिम तारीख 31.3.2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है. इस संदर्भ में काफी सारे प्रतिवेदन जीएसटी काउंसिल को भेजे गए थे. 2018 19 के GSTR-9 में अपने आने वाले फिगर जैसे GSTR 2A के autopoulated figures, transitional credit के credit figures 2017-18 के ही आ रहे थे.ऐसे में उसको भरना असंभव था. साथ में इस फॉर्मेट में कुछ बदलाव की भी आवश्यकता थी. परंतु यह कार्य अभी तक नहीं हुआ था.इसके प्रतिवेदन मैं भी टैक्स बार एसोसिएशन ने यह कहा था कि उन्हें समय अवधि के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है परंतु पूरी तरह ऑटो पापुलेटेड जीएसटीआर 9 and 9C, अच्छा पोर्टल चाहिए. इसके बाद ही 3 महीने में ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इन सब को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में समय अवधि 3 महीने बढ़ा दी है.

2. Reconciliation स्टेटमेंट GSTR-9C को फाइल करने वाले assessee के टर्नओवर लिमिट बढ़ाकर 2 करोड से 5 करोड़ कर दी गई है. अब 5 करोड़ के टर्नओवर वाले करदाताओं को नए GSTR-9C file की आवश्यकता नहीं है.पर जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स पर यह नियम लागू होगा इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा.और दो करोड़ से ऊपर turnover वाले ट्रेडिंग यूनिट्स को GSTR-9C

भरना होगा. सिर्फ manufacturing units पर यह नियम लागू होगा. इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है. Notification आने पर ही खुलासा होगा.

3. GSTR-9 and 9C लेट फाइल करने वालों पर लेट फीस आवश्यकता नहीं होगी अगर उनका टर्नओवर दो करोड़ से कम है. इसमें पहली बात तो यह थी कि दो करोड़ से कम वालों को GSTR-9C ऑनलाइन फाइल करना ही नहीं होता था. दूसरा GSTR-9C के लिए कोई लेट भी नहीं लगती है.अतः सब छूट देने की क्या आवश्यकता थी? तीसरा दो करोड़ से कम वालों को GSTR-9C file करना भी जरूरी नहीं था तथा यह कहा गया था कि अगर वह फाइल नहीं करते हैं तो figures autopopulated होंगे उन्हें सही मान लिया जाएगा. यह कहा गया था कि यह नियत तिथि तक file करना है अन्यथा यह सुविधा दो करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए बंद हो जाएगी. पर अब लेट fees का provision आ गया है अतः उनको भी रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है. इस प्रावधान के पीछे कुछ जीएसटी कंसलटेंट का मत है कि वह अगले साल को रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं वह क्योंकि पोर्टल पिछले साल में रिटर्न नहीं फाइल करने की स्थिति में अगले साल का रिटर्न भरने की सुविधा भी नहीं दे रहा है.अतः assessee जिनका turnover पिछले साल से दो करोड़ से बढ़ गया है उनको पिछले साल का रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है. पर जब लिमिट 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है, अतः यह बात सही प्रतीत नहीं होती है.

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21